

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(21)नविवि/बसेड़ी/2022

जयपुर, दिनांक: 14/06/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को बसेड़ी (जिला-धौलपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	बसेड़ी-प्रथम	BASERI-I
2.	बसेड़ी-द्वितीय	BASERI-II
3.	तिमासिया	TIMASIYA
4.	नगला दरवेशा	NAGALA DARVESHA
5.	कन्दपुरा	KANDPURA
6.	मठ बादरी	MATH BADARI
7.	बरई	BARAI
8.	मोहारी	MOHARI

राज्यपाल की आज्ञा से

(Handwritten Signature)
14/6/2022

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, धौलपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बसेड़ी, जिला-धौलपुर।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रालवी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय